

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,
विशाल कॉम्प्लेक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद-औरैया।

पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/NRC/18-4/2017-18/5048 दिनांक 21/08/2017

विषय:-जिला पुरुष चिकित्सालय में नवीन पोषण पुर्नवास केन्द्र (NRC) की स्थापना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि एन०एफ०एच०एस०-IV (वर्ष 2016) सर्वे के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के 15 लाख बच्चे Severe Acute Malnutrition (SAM) से प्रभावित हैं अर्थात् इनका वजन ऊँचाई के अनुपात में बहुत कम है। Severe Acute Malnutrition (SAM) एक गंभीर समस्या है। कुपोषित बच्चों में मृत्यु की सम्भावना 09 गुना अधिक होती है। मुख्य रूप से 05 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इससे प्रभावित होते हैं तथा Severe Acute Malnutrition (SAM) से प्रभावित कुपोषित बच्चों की पहचान निम्नलिखित मानकों के आधार पर की जाती है-

- 01-बच्चे की लम्बाई के अनुपात में वजन- (-3) एस०डी० से कम।
- 02-बच्चे की मिड अपर आर्म का माप- 11.5 से०मी० से कम।
- 03-बच्चे के दोनो पैरो में पिटिंग एडीमा।

अति गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार एवं कुपोषण रोकथाम हेतु भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में चरणबद्ध रूप से पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) की स्थापना की जा रही है इसी क्रम में आपके जनपद में पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC) की स्थापना जिला पुरुष चिकित्सालय में की जानी है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 की सप्लीमेंट्री आर०ओ०पी० में नवीन पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRCs) स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRCs) की स्थापना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें। पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC) की स्थापना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नवत हैं-

01-उद्देश्य:-

- 5 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों की उचित देखभाल जिससे कि कुपोषण से होने वाले शिशु एवं बाल मृत्युदर में वांछित कमी लाई जा सके।
- अति कुपोषित बच्चों की शारीरिक एवं मनोसामाजिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
- बच्चे की खान-पान तथा उचित देखभाल में माताओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता को विकसित करना।
- समुदाय को पोषण सम्बन्धी समस्याओं व समाधान के प्रति जागरूक करना।

02-पोषण पुनर्वास केन्द्र पर प्रदान की जाने वाली सेवाये:-

1. भर्ती किये गये अति कुपोषित बच्चों की चौबीस घण्टे उचित देखभाल।
2. आवश्यक जांच बीमारी एवं जटिलताओं का मानक प्रोटोकाल के अनुरूप चिकित्सकीय उपचार।
3. उपचारात्मक आहार की व्यवस्था।
4. बच्चे के परिवारजनों को उचित खान-पान, साफ सफाई के विषय पर परामर्श देना।
5. माताओं को स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों से कम लागत की पोषण विधियों पर प्रशिक्षित करना।
6. पोषण पुनर्वास केन्द्र में हर 15 दिन में 2 माह तक 4 बार फॉलोअप करना।

MW

03-पोषण पुर्नवास केन्द्र का स्थान:-

- पोषण पुर्नवास केन्द्र जिला चिकित्सालय (पुरुष) में 10 शैय्याओं/बैड की इकाई स्थापित की जायेगी।
- जिला पुरुष चिकित्सालय में पोषण पुर्नवास केन्द्र में बच्चों की भर्ती हेतु एक अलग वार्ड जिसमें मानक के अनुसार 10 शैय्या/बैड रखने की क्षमता हो। वार्ड के साथ किचन, शौचालय एवं बरामदा की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना होगा।

04-पोषण पुर्नवास केन्द्र का स्वरूप :-

- a) पोषण पुर्नवास केन्द्र के लिये एक अलग वार्ड का चयन किया जाय। पोषण पुर्नवास केन्द्र के 10 शैय्याओं/बैड के वार्ड का क्षेत्रफल लगभग 1950 Sq फिट होना चाहिये (प्रति शैय्या/बैड का क्षेत्रफल 150 Sq फिट)। चयनित वार्ड में प्राकृतिक हवा/प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिये, वार्ड में ही आवंटित बेड के पास चिकित्सक, स्टाफ नर्स, न्यूट्रीशनिस्ट हेतु मेज़, कुर्सी रखने की व्यवस्था भी की जानी आवश्यक है। वार्ड में बच्चे व मां के लिये पर्याप्त स्थान की व्यवस्था हो। बच्चों के मनोरंजन एवं मनो सामाजिक विकास के अनुकूल वार्ड बनाने के लिये दीवारों पर आकर्षक पेन्टिंग तथा पोस्टर लगाये जायेगे। इस हेतु यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश द्वारा तकनीकी सलाह दी जायेगी।
- b) चूंकि पोषण पुर्नवास केन्द्र में बच्चे के साथ मां अथवा परिवार के सदस्य का रूकना अनिवार्य है इस लिये उपयोग में लाये जाने वाले बैड का माप वयस्क के अनुरूप हो।
- c) चूंकि इस पोषण पुर्नवास केन्द्र में Severe Acute Malnutrition (SAM) बच्चे का आहार भी चिकित्सालय में बनाया जाना है अतः रसोई बनाने के लिये वार्ड के साथ अलग से एक कमरा भी उपलब्ध हो। रसोई घर में गैस सिलिन्डर, मिक्सर, कुकर आदि खाना बनाने के बर्तन, पानी रखने के बर्तन, खाद्य सामग्री की तौल व मॉप के उपकरण आदि की व्यवस्था की जाये। फ्रिज भी रसोई घर में रखा जाना होगा इस हेतु स्थान की समुचित व्यवस्था की जाये।
- d) परिवारजनों/माता के ठहरने का स्थान, परिवार के सदस्यों विशेषकर माता के रहने के लिये कक्ष में बेड, गद्दा, रंगीन चादर, मच्छरदानी तथा मौसम की आवश्यकता अनुसार हीटर/कूलर/पंखे व 24 घंटे बिजली की भी व्यवस्था एवं उम्र के अनुसार बच्चों के लिये खिलौनों की व्यवस्था की जानी है।
- e) वार्ड के साथ पोषण पुर्नवास केन्द्र के लिये अलग से शौचालय व स्नानघर की व्यवस्था भी की जाये।

05-वित्तीय व्यवस्था :-

भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार जिला चिकित्सालय में 10 शैय्याओं के पोषण पुर्नवास केन्द्र (NRC) की स्थापना हेतु रू 2.00 लाख की धनराशि का उपयोग निम्नवत् किया जायेगा-

S. N.	Item	Unit	Unit Cost (Rs.)	Total cost (Rs.)
A	Establishment cost			
Civil work renovation etc.-				
1	Ward	1	25,000	25,000
2	Kitchen	1	20,000	20,000
3	Bathroom and Toilet	1	15,000	15,000
4	Cots and Mattresses	10	2,500	25,000
5	Essential ward equipments	1	50,000	50,000
6	Other ward equipments	1	35,000	35,000
7	Kitchen Equipments	1	30,000	30,000
Total Fund				2,00,000

1. क्रम संख्या- 1, 2, एवं 3 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि वार्ड, किचन, बाथरूम एवं टायलेट की छोटी-मोटी मरम्मत, पार्टीशन, पानी, बिजली आदि की व्यवस्था को सुदृढीकरण एवं क्रियाशीलता के लिये दी जा रही है।
2. क्रम संख्या- 4 पर दी गयी धनराशि शैय्याओं/बेड एवं गद्दों की आपूर्ति के लिये है आवश्यकतानुसार इनका क्रय किया जाना चाहिये। यथासम्भव शैय्या/बेड चिकित्सालय से ही उपलब्ध कराये जायें।

3. क्रम संख्या- 5 एवं 6 पर दी गयी धनराशि वार्ड में उपयोग किये जाने वाली सामग्री एवं उपकरणों के लिये दी जा रही है, जो नीचे दी जा रही तालिका 1 एवं 2 पर अंकित हैं इनका नियमानुसार क्रय कर के पोषण पुर्नवास केन्द्र की स्टॉक बुक में अंकित कर लें तथा वाउचरर्स पर सत्यापन योजना का नाम तथा स्टॉकबुक के पृष्ठ का अंकन कर आडिट हेतु सुरक्षित रखें। पोषण पुर्नवास केन्द्र (NRC) में साफ सफाई के विशेष ध्यान रखा जाना है इसके लिये कलर कोड के ढक्कनदार बड़े डस्ट-बिन वार्ड में अवश्य हों।
4. क्रम संख्या- 7 पर दी गयी धनराशि रसोई में उपयोग आने वाले बर्तन एवं अन्य उपकरणों के लिये है जो नीचे तालिका-3 पर दिया गया है, आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार क्रय किया जाये।

तालिका- 1 Essential Ward equipment's to be purchased

S.N.	Items	No.
1	Glucometer with strips	1
2	Thermometers (preferably low-reading)	2
3	Digital Paediatric weighing scales for measuring weight of the child (upto 25 kg with graduation of 5 gm) with TARE option to be kept in Ward	1
4	Infantometer for measuring length of the child	1
5	Stadiometer (to measure standing height)	1
6	Resuscitation equipment's	1
7	Suction equipment (low pressure)	1

तालिका- 2 : Other Ward equipment's to be purchased

S. N.	Items	No.	Remarks
1	IV stands	at least for each Bed	To be purchased from the Budget head of other ward equipment
2	Almirah	1	
3	Shoe rack	2	
4	Dustbin	12	
5	Room heaters	6	
6	LCD TV ; DVD player	1	
7	IEC – Audio/visual materials	1	
8	Toys for structural play (Safe, Homemade toys can be used as well)		
9	Clock (one for kitchen and one for ward)	2	
10	White board and Pin up notice board	1 each	
11	Calculator	1	
12	Reference height and weight charts and other recknor tables (supply by UNICEF)	1	

तालिका- 3 : Kitchen equipment's to be purchased

S.N.	Items	No.	Remarks
1	Cooking Gas burner with cylinder	1	Items will be purchased under the heads of Kitchen equipment
2	Dietary/weighing machine to weigh the food items	1	
3	Measuring jars/ glass (10 ml, 50 ml, 100ml, 250 ml, 500ml & 1000ml) and Measuring Spoons set	1set	
4	Electric Mixer	1	
5	Electric Blender	1	
6	Water Filter (RO)	1	
7	Refrigerator	1	
8	Utensils (large containers, cooking utensils, feeding cups, saucers, spoons, jugs etc.)	1 set	

Alu

06-वित्त पोषण :-

भारत सरकार द्वारा पोषण पुर्नवास केन्द्र की स्थापना हेतु FMR- A.2.5 पर रू0 2.00 लाख की धनराशि One time Establishment cost अवमुक्त की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह धनराशि शीघ्र अतिशीघ्र मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरुष चिकित्सालय को अवमुक्त कर इकाई की स्थापना का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराकर क्रियाशील कराने का कष्ट करें, स्थापना का कार्य पूर्ण होने पर अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित किया जाये जिससे मानव संसाधन के मानदेय एवं आपरेशनल कास्ट हेतु भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा सकें। धनराशि का व्यय समय-समय पर जारी वित्तीय दिशा निर्देशानुसार किया जाये।

Nutritional Rehabilitation Centres Funds allocation		
Name of District	Operational cost Approved from GoI (New NRCs Repair & Renovation Cost Rs. 2.00 Lacs)	Total Funds Released to DHS
Auraiya	FMR Code -A.2.5	2.00
	200000	

मानव संसाधन

पोषण पुर्नवास केन्द्र की स्थापना के उपरान्त कार्यक्रम संचालन हेतु कार्यक्रम संचालन हेतु पोषण पुर्नवास केन्द्र पर निम्न स्टाफ की आवश्यकता होगी।

- चिकित्सा अधिकारी -01 (संविदा पर)
- न्यूट्रीशनिस्ट काउन्सलर -01 (संविदा पर)
- स्टाफ नर्स -04 (संविदा पर)
- कुक (रसोईया) -01 (आउट सोर्सिंग के माध्यम से)
- केयर टेकर -01 ((आउट सोर्सिंग के माध्यम से)
- सफाई कर्मी -01 (आउट सोर्सिंग के माध्यम से)

मानव संसाधन की नियुक्ति/तैनाती के सम्बन्ध में इकाई की स्थापना का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

नोट:-

1. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध है।
2. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
3. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये जनपद के सम्बन्धित अधिकारी/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
4. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
5. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनैन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

7. प्रत्येक माह एन0आर0सी0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेख्या प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
8. सुनिश्चित करें कि संविदा कर्मी समय से ड्यूटी करें (यदि अन्य जनपद से आना जाना हो तो समय की पाबन्दी अवश्य सुनिश्चित की जाय) समय से न आने वालों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये तथा अभिलेख संविदाकर्मी की पत्रावली में प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सुरक्षित रखा जाये।
9. इस कार्यालय के पत्रसंख्या-एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012-13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96-2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई-पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

जनपद में पोषण पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की जानकारी के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की वेबसाइट-upnrhm.gov.in पर प्रदेश में क्रियाशील पोषण पुनर्वास केन्द्र के वार्ड, किचिन, टायलेट आदि के फोटोग्राफ उपलब्ध कराये जा रहे हैं। अवलोकन करने का कष्ट करें। किसी भी अन्य जानकारी /कठिनाई के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18-4/2017-18/

दिनांक /08/2017

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति जनपद औरैया।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मण्डल कानपुर।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरुष चिकित्सालय, जनपद औरैया को इस आशय के साथ प्रेषित मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कानपुर।
7. जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, औरैया
8. न्यूट्रीशन स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, बी-3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,
विशाल कॉम्प्लेक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद-औरैया।

पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/NRC/18-4/2017-18/

दिनांक 22/08/2017

विषय:-जिला पुरुष चिकित्सालय में नवीन पोषण पुर्नवास केन्द्र (NRC) की स्थापना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि एन०एफ०एच०एस०-IV (वर्ष 2016) सर्वे के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के 15 लाख बच्चे Severe Acute Malnutrition (SAM) से प्रभावित हैं अर्थात् इनका वजन ऊँचाई के अनुपात में बहुत कम है। Severe Acute Malnutrition (SAM) एक गंभीर समस्या है। कुपोषित बच्चों में मृत्यु की सम्भावना 09 गुना अधिक होती है। मुख्य रूप से 05 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इससे प्रभावित होते हैं तथा Severe Acute Malnutrition (SAM) से प्रभावित कुपोषित बच्चों की पहचान निम्नलिखित मानकों के आधार पर की जाती है-

- 01-बच्चे की लम्बाई के अनुपात में वजन- (-3) एस०डी० से कम।
- 02-बच्चे की मिड अपर आर्म का माप- 11.5 से०मी० से कम।
- 03-बच्चे के दोनो पैरो में पिटिंग एडीमा।

अति गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार एवं कुपोषण रोकथाम हेतु भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में चरणबद्ध रूप से पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) की स्थापना की जा रही है इसी क्रम में आपके जनपद में पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC) की स्थापना जिला पुरुष चिकित्सालय में की जानी है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 की सप्लीमेन्ट्री आर०ओ०पी० में नवीन पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRCs) स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRCs) की स्थापना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें। पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC) की स्थापना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नवत हैं-

01-उद्देश्य:-

- 5 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों की उचित देखभाल जिससे कि कुपोषण से होने वाले शिशु एवं बाल मृत्युदर में वांछित कमी लाई जा सके।
- अति कुपोषित बच्चों की शारीरिक एवं मनोसामाजिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
- बच्चे की खान-पान तथा उचित देखभाल में माताओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता को विकसित करना।
- समुदाय को पोषण सम्बन्धी समस्याओं व समाधान के प्रति जागरूक करना।

02-पोषण पुनर्वास केन्द्र पर प्रदान की जाने वाली सेवाये:-

1. भर्ती किये गये अति कुपोषित बच्चों की चौबीस घण्टे उचित देखभाल।
2. आवश्यक जांच बीमारी एवं जटिलताओं का मानक प्रोटोकाल के अनुरूप चिकित्सकीय उपचार।
3. उपचारात्मक आहार की व्यवस्था।
4. बच्चे के परिवारजनों को उचित खान-पान, साफ सफाई के विषय पर परामर्श देना।
5. माताओं को स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों से कम लागत की पोषण विधियों पर प्रशिक्षित करना।
6. पोषण पुनर्वास केन्द्र में हर 15 दिन में 2 माह तक 4 बार फॉलोअप करना।

03-पोषण पुर्नवास केन्द्र का स्थान:-

- पोषण पुर्नवास केन्द्र जिला चिकित्सालय (पुरुष) में 10 शैय्याओं/बैड की इकाई स्थापित की जायेगी।
- जिला पुरुष चिकित्सालय में पोषण पुर्नवास केन्द्र में बच्चों की भर्ती हेतु एक अलग वार्ड जिसमें मानक के अनुसार 10 शैय्या/बैड रखने की क्षमता हो। वार्ड के साथ किचन, शौचालय एवं बरामदा की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना होगा।

04-पोषण पुर्नवास केन्द्र का स्वरूप :-

- पोषण पुर्नवास केन्द्र के लिये एक अलग वार्ड का चयन किया जाय। पोषण पुर्नवास केन्द्र के 10 शैय्याओं/बैड के वार्ड का क्षेत्रफल लगभग 1950 Sq फिट होना चाहिये (प्रति शैय्या/बैड का क्षेत्रफल 150 Sq फिट)। चयनित वार्ड में प्राकृतिक हवा/प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिये, वार्ड में ही आवंटित बेड के पास चिकित्सक, स्टाफ नर्स, न्यूट्रीशनिस्ट हेतु मेज़, कुर्सी रखने की व्यवस्था भी की जानी आवश्यक है। वार्ड में बच्चे व मां के लिये पर्याप्त स्थान की व्यवस्था हो। बच्चों के मनोरंजन एवं मनो सामाजिक विकास के अनुकूल वार्ड बनाने के लिये दीवारों पर आकर्षक पेन्टिंग तथा पोस्टर लगाये जायेगे। इस हेतु यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश द्वारा तकनीकी सलाह दी जायेगी।
- चूंकि पोषण पुर्नवास केन्द्र में बच्चे के साथ मां अथवा परिवार के सदस्य का रूकना अनिवार्य है इस लिये उपयोग में लाये जाने वाले बैड का माप वयस्क के अनुरूप हो।
- चूंकि इस पोषण पुर्नवास केन्द्र में Severe Acute Malnutrition (SAM) बच्चे का आहार भी चिकित्सालय में बनाया जाना है अतः रसोई बनाने के लिये वार्ड के साथ अलग से एक कमरा भी उपलब्ध हो। रसोई घर में गैस सिलैन्डर, मिक्सर, कुकर आदि खाना बनाने के बर्तन, पानी रखने के बर्तन, खाद्य सामग्री की तौल व मॉप के उपकरण आदि की व्यवस्था की जाये। फ्रिज भी रसोई घर में रखा जाना होगा इस हेतु स्थान की समुचित व्यवस्था की जाये।
- परिवारजनों/माता के ठहरने का स्थान, परिवार के सदस्यों विशेषकर माता के रहने के लिये कक्ष में बेड, गद्दा, रंगीन चादर, मच्छरदानी तथा मौसम की आवश्यकता अनुसार हीटर/कूलर/पंखे व 24 घंटे बिजली की भी व्यवस्था एवं उम्र के अनुसार बच्चों के लिये खिलौनों की व्यवस्था की जानी है।
- वार्ड के साथ पोषण पुर्नवास केन्द्र के लिये अलग से शौचालय व स्नानघर की व्यवस्था भी की जाये।

05-वित्तीय व्यवस्था :-

भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार जिला चिकित्सालय में 10 शैय्याओं के पोषण पुर्नवास केन्द्र (NRC) की स्थापना हेतु रू0 2.00 लाख की धनराशि का उपयोग निम्नवत् किया जायेगा-

S. N.	Item	Unit	Unit Cost (Rs.)	Total cost (Rs.)
A	Establishment cost			
Civil work renovation etc.-				
1	Ward	1	25,000	25,000
2	Kitchen	1	20,000	20,000
3	Bathroom and Toilet	1	15,000	15,000
4	Cots and Mattresses	10	2,500	25,000
5	Essential ward equipments	1	50,000	50,000
6	Other ward equipments	1	35,000	35,000
7	Kitchen Equipments	1	30,000	30,000
Total Fund				2,00,000

- क्रम संख्या- 1, 2, एवं 3 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि वार्ड, किचन, बाथरूम एवं टायलेट की छोटी-मोटी मरम्मत, पार्टिशन, पानी, बिजली आदि की व्यवस्था को सुदृढणीकरण एवं क्रियाशीलता के लिये दी जा रही है।
- क्रम संख्या- 4 पर दी गयी धनराशि शैय्याओं/बेड एवं गद्दों की आपूर्ति के लिये है आवश्यकतानुसार इनका क्रय किया जाना चाहिये। यथासम्भव शैय्या/बेड चिकित्सालय से ही उपलब्ध कराये जायें।

3. क्रम संख्या- 5 एवं 6 पर दी गयी धनराशि वार्ड में उपयोग किये जाने वाली सामग्री एवं उपकरणों के लिये दी जा रही है, जो नीचे दी जा रही तालिका 1 एवं 2 पर अंकित हैं इनका नियमानुसार क्रय कर के पोषण पुर्नवास केन्द्र की स्टॉक बुक में अंकित कर लें तथा वाउचरर्स पर सत्यापन योजना का नाम तथा स्टॉकबुक के पृष्ठ का अंकन कर आडिट हेतु सुरक्षित रखें। पोषण पुर्नवास केन्द्र (NRC) में साफ सफाई के विशेष ध्यान रखा जाना है इसके लिये कलर कोड के ढक्कनदार बड़े डस्ट-बिन वार्ड में अवश्य हों।
4. क्रम संख्या- 7 पर दी गयी धनराशि रसोई में उपयोग आने वाले बर्तन एवं अन्य उपकरणों के लिये है जो नीचे तालिका-3 पर दिया गया है, आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार क्रय किया जाये।

तालिका- 1 Essential Ward equipment's to be purchased

S.N.	Items	No.
1	Glucometer with strips	1
2	Thermometers (preferably low-reading)	2
3	Digital Paediatric weighing scales for measuring weight of the child (upto 25 kg with graduation of 5 gm) with TARE option to be kept in Ward	1
4	Infantometer for measuring length of the child	1
5	Stadiometer (to measure standing height)	1
6	Resuscitation equipment's	1
7	Suction equipment (low pressure)	1

तालिका- 2 : Other Ward equipment's to be purchased

S. N.	Items	No.	Remarks
1	IV stands	at least for each Bed	To be purchased from the Budget head of other ward equipment
2	Almirah	1	
3	Shoe rack	2	
4	Dustbin	12	
5	Room heaters	6	
6	LCD TV ; DVD player	1	
7	IEC - Audio/visual materials	1	
8	Toys for structural play (Safe, Homemade toys can be used as well)		
9	Clock (one for kitchen and one for ward)	2	
10	White board and Pin up notice board	1 each	
11	Calculator	1	
12	Reference height and weight charts and other recknor tables (supply by UNICEF)	1	

तालिका- 3 : Kitchen equipment's to be purchased

S.N.	Items	No.	Remarks
1	Cooking Gas burner with cylinder	1	Items will be purchased under the heads of Kitchen equipment
2	Dietary/weighing machine to weigh the food items	1	
3	Measuring jars/ glass (10 ml, 50 ml, 100ml, 250 ml, 500ml & 1000ml) and Measuring Spoons set	1 set	
4	Electric Mixer	1	
5	Electric Blender	1	
6	Water Filter (RO)	1	
7	Refrigerator	1	
8	Utensils (large containers, cooking utensils, feeding cups, saucers, spoons, jugs etc.)	1 set	

06-वित्त पोषण :-

भारत सरकार द्वारा पोषण पुर्नवास केन्द्र की स्थापना हेतु FMR- A.2.5 पर रू0 2.00 लाख की धनराशि One time Establishment cost अवमुक्त की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह धनराशि शीघ्र अतिशीघ्र मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरुष चिकित्सालय को अवमुक्त कर इकाई की स्थापना का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराकर क्रियाशील कराने का कष्ट करें, स्थापना का कार्य पूर्ण हाने पर अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित किया जाये जिससे मानव संसाधन के मानदेय एवं आपरेशनल कास्ट हेतु भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा सकें। धनराशि का व्यय समय-समय पर जारी वित्तीय दिशा निर्देशानुसार किया जाये।

Nutritional Rehabilitation Centres Funds allocation		
Name of District	Operational cost Approved from Gol (New NRCs Repair & Renovation Cost Rs. 2.00 Lacs)	Total Funds Released to DHS
Auraiya	FMR Code -A.2.5	2.00
	200000	

मानव संसाधन

पोषण पुर्नवास केन्द्र की स्थापना के उपरान्त कार्यक्रम संचालन हेतु कार्यक्रम संचालन हेतु पोषण पुर्नवास केन्द्र पर निम्न स्टाफ की आवश्यकता होगी ।

- चिकित्सा अधिकारी -01 (संविदा पर)
- न्यूट्रीशनिस्ट काउन्सलर -01 (संविदा पर)
- स्टाफ नर्स -04 (संविदा पर)
- कुक (रसोईया) -01 (आउट सोर्सिंग के माध्यम से)
- केयर टेकर -01 ((आउट सोर्सिंग के माध्यम से)
- सफाई कर्मी -01 (आउट सोर्सिंग के माध्यम से)

मानव संसाधन की नियुक्ति/तैनाती के सम्बन्ध में इकाई की स्थापना का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

नोट:-

1. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध है।
2. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
3. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये जनपद के सम्बन्धित अधिकारी/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
4. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
5. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्युरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

7. प्रत्येक माह एन0आर0सी0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेख्या प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
8. सुनिश्चित करें कि संविदा कर्मी समय से ड्यूटी करें (यदि अन्य जनपद से आना जाना हो तो समय की पाबन्दी अवश्य सुनिश्चित की जाय) समय से न आने वालों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये तथा अभिलेख संविदाकर्मी की पत्रावली में प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सुरक्षित रखा जाये।
9. इस कार्यालय के पत्रसंख्या-एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012-13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96-2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई-पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

जनपद में पोषण पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की जानकारी के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की वेबसाइट-upnrhm.gov.in पर प्रदेश में क्रियाशील पोषण पुनर्वास केन्द्र के वार्ड, किचिन, टायलेट आदि के फोटोग्राफ उपलब्ध कराये जा रहे हैं। अवलोकन करने का कष्ट करें। किसी भी अन्य जानकारी /कठिनाई के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18-4/2017-18/548-8

दिनांक /08/2017

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति जनपद औरैया।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मण्डल कानपुर।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरुष चिकित्सालय, जनपद औरैया को इस आशय के साथ प्रेषित मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कानपुर।
7. जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, औरैया।
8. न्यूट्रीशन स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, बी-3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य